<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 234 / 2022

श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राजस्थान), पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

<u>आदेश</u>

दिनांक 20.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 234 / 2022 पर दिनांक 30.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 2951—52 दिनांक 30.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 917 दिनांक 13.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 117 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 921 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि उक्त परिवाद मे नियमानुसार कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 1(8)(5)सर्तकता / जांच / 2022 / 309 दिनांक 21.02.2022 एवं 630 दिनांक 16.05.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को लिखा जा चुका है। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं से रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 21 / 917 दिनांक 13.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 117 दिनांक 30.03.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं को नियमानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी सर्तकता अनुभाग कलेक्ट्रेट झुंझुनूं ने अपने पत्र कमांक 921 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि उक्त परिवाद मे नियमानुसार कार्यवाही हेतु उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 1(8)(5)सर्तकता / जांच / 2022 / 309 दिनांक 21.02.2022 एवं 630 दिनांक 16.05.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं को लिखा जा चुका है। प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं से रिपोर्ट आदिनांक तक प्राप्त नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] देश दिये जाते है कि प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं अपीलार्थी को वांछित सूचना [illegible] दिवस [illegible] निःशुल्क उपलब्ध करावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी [illegible] य अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को खुली [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.03 17:29:57 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं